न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी :नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 22/14

जसवीरकौर पत्नी कुलदीपसिंह जाति जटसिख निवासी 16 बी बी तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत 23 बी बी, पंचायत समिति, पदमपुर जरिये सरपंच
2. ग्राम पंचायत 23 बी बी, पंचायत समिति, पदमपुर जरिये सचिव

गैर निगरानीकर्त्ता

निगरानी विरूद्ध ग्राम पंचायत 23 बी बी आदेश दिनांक शून्य जिसके द्वारा प्रार्थिया के भूखण्ड सं0 70 साईज 80 गुणा 80 फुट पूर्व दिशा में 20 गुणा 16 फुट चौड़ी सड़क मान कर बेदखल करने के आदेश दिये, को मन्सूख करने बाबत।

उपस्थित : 1. श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. अप्रार्थीगण की ओर से कोई हाजिर नहीं।

आदेश **दिनांक : 14—06—17**

प्रस्तुत निगरानी प्रकरण का सार सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता के नाम से वाके चक 23 बी बी के मुरब्बा नं0 46 के भूखण्ड सं0 70 में 80 गुणा 80 में से भूखण्ड खरीद शुदा है। बैयनामा के आधार वा ग्राम पंचायत 23 बी बी के प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 25—3—12 को नामान्तरण दर्ज किया जा चुका है। ग्राम पंचायत, 23 बी बी द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये मनमाने तौर पर दोनों भूखण्डों (भूखण्ड सं0 70 व 29) के मध्य सड़क अंकित कर बिना आदेश पारित किये बेदखल करना चाहती है। निगरानीकर्ता के खरीद शुदा भूखण्ड के पश्चिम की तरफ किसी भी प्रकार की कोई सड़क स्वीकृत शुदा नहीं है बल्कि भूखण्ड सं0 70 के चिपते पश्चिम में भूखण्ड सं0 29—30 है। भूखण्ड सं0 29 फुलाराम पुत्र चन्दू राम का है। विवादित भूखण्ड सं0 70 व 29 दोनों ही सार्वजनिक सम्पति नहीं है बल्कि निगरानीकर्ता का मालियत की सम्पति है जिसमें कोई रास्ता नहीं है इसलिए निगरानीकर्ता को बेदखल नहीं किया जा सकता है। निगरानीकर्ता भूखण्ड सं0 70 की मालिक है जिसमें किसी प्रकार की सार्वजनिक सड़क स्वीकृत शुदा नहीं है। मौके पर निगरानीकर्ता की रिहायश है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश बिना ग्राम पंचायत 23 बी बी पंचायत समिति पदमपुर के नजरी नक्शा में अंकित सड़क को हटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

ग्राम पंचायत से रेकार्ड पर रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों पर अपनी बहस को ... है कि निगरानी में वर्णित तथ्य ही उसकी बहस है।

जसवीरकौर पत्नी कुलदीपसिंह जाति जटसिख निवासी 16 बी बी तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत 23 बी बी, पंचायत समिति, पदमपुर जरिये सरपंच
2. ग्राम पंचायत 23 बी बी, पंचायत समिति, पदमपुर जरिये सचिव

गैर निगरानीकर्त्ता

निगरानी विरूद्ध ग्राम पंचायत 23 बी बी आदेश दिनांक शून्य जिसके द्वारा प्रार्थिया के भूखण्ड सं0 70 साईज 80 गुणा 80 फुट पूर्व दिशा में 20 गुणा 16 फुट चौड़ी सड़क मान कर बेदखल करने के आदेश दिये, को मन्सूख करने बाबत।

उपस्थित : 1. श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. अप्रार्थीगण की ओर से कोई हाजिर नहीं।

आदेश **दिनांक : 14–06–17**

प्रस्तुत निगरानी प्रकरण का सार सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता के नाम से वाके चक 23 बी बी के मुरब्बा नं0 46 के भूखण्ड सं0 70 में 80 गुणा 80 में से भूखण्ड खरीद शुदा है। बैयनामा के आधार वा ग्राम पंचायत 23 बी बी के प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 25–3–12 को नामान्तरण दर्ज किया जा चुका है। ग्राम पंचायत, 23 बी बी द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये मनमाने तौर पर दोनों भूखण्डों (भूखण्ड सं0 70 व 29) के मध्य सड़क अंकित कर बिना आदेश पारित किये बेदखल करना चाहती है। निगरानीकर्ता के खरीद शुदा भूखण्ड के पश्चिम की तरफ किसी भी प्रकार की कोई सड़क स्वीकृत शुदा नहीं है बल्कि भूखण्ड सं0 70 के चिपते पश्चिम में भूखण्ड सं0 29–30 है। भूखण्ड सं0 29 फुलाराम पुत्र चन्दू राम का है। विवादित भूखण्ड सं0 70 व 29 दोनों ही सार्वजनिक सम्पति नहीं है बल्कि निगरानीकर्ता का मालियत की सम्पति है जिसमें कोई रास्ता नहीं है इसलिए निगरानीकर्ता को बेदखल नहीं किया जा सकता है। निगरानीकर्ता भूखण्ड सं0 70 की मालिक है जिसमें किसी प्रकार की सार्वजनिक सड़क स्वीकृत शुदा नहीं है। मौके पर निगरानीकर्ता की रिहायश है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश बिना ग्राम पंचायत 23 बी बी पंचायत समिति पदमपुर के नजरी नक्शा में अंकित सड़क को हटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

ग्राम पंचायत से रेकार्ड पर रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों पर अपनी बहस को आधारित करते हुए कहा है कि निगरानी में वर्णित तथ्य ही उसकी बहस है। अप्रार्थीगण की ओर से कोई हाजिर नहीं है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के माध्यम से ग्राम पंचायत 23 बी बी पंचायत समिति पदमपुर के नजरी नक्शा में अंकित सड़क को हटाये जाने का अनुतोष चाहा है। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि प्रदुमनप्रतापसिंह पुत्र श्री पृथ्वीराजसिंह जाति राजपूत निवासी पदमपुर द्वारा निगरानीकर्ता जसवीरकौर को वाके ग्राम 23 बी बी का

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

मुरब्बा नं0 46 में अहाता सं0 70 साईज 50 गुणा 80 फुट का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 2–2–12 को किया गया है। पंचायत समिति, पदमपुर के पत्र क्रमांक 5800 दिनांक 28–3–14 के अनुसार ग्राम पंचायत 23 बी बी के अहाता सं0 70 मुरब्बा नं0 46 आबादी 23 बी बी पर निगरानीकर्ता जसवीरकौर का अतिक्रमण था जिसको विकास अधिकारी की मौजूदगी में दिनांक 30–10–13 को हटाया गया था लेकिन इसके बाद अतिक्रमी द्वारा पुनः उसी रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया गया है। ग्राम पंचायत 23 बी बी पंचायत समिति, पदमपुर ने अपने पत्र सं0 24 दिनांक 21–7–14 द्वारा अवगत कराया है कि '' निगरानीकर्ता द्वारा उपरोक्त हिस्सा 20 गुणा 16 फुट में आम रास्ता लगभग एक माह पूर्व से अपना कब्जा हटाकर खाली कर दिया गया है। वर्तमान में 20 गुणा 16 फुट के आम रास्ते में आवागमन चालू है ''। ग्राम पंचायत ने अपने पत्र क्रमांक स्पेशल–01 दिनांक 17–8–16 से अवगत कराया गया है कि '' दिनांक 25–3–12 को ग्राम पंचायत द्वारा अहाता सं0 70 मुरब्बा नं0 46 की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी और न ही इस दिनांक को ग्राम पंचायत की बैठक हुई थी बल्कि अहाता सं0 70 से संबंधित कार्यवाही दिनांक 5–3–12 की बैठक में की गई थी''।

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति के अनुसार अहाता सं0 70 प्रस्ताव सं0 1 दिनांक 5–11–11 के अनुसार पृथ्वीराज पुत्र सुल्तानसिंह राजपूत दिनांक 03.02.11 के देहान्त के बाद उसके चार जायज वारिसों क्रमशः श्रीमती रेणुसिंह पत्नी, श्री प्रदुमनसिंह, कु0 दिव्यासिंह एवं कु0 कर्णिकासिंह हैं। पंचायत की बैठक में मुख्त्यारनामा आम के आधार पर अहाता सं0 70 मु0 नं0 46 चक 23 बी बी पृथ्वीराजसिंह पुत्र सुल्तानसिंह के नाम खारिज कर श्री प्रदुमनप्रतापसिंह के नाम इन्तकाल दर्ज किया गया।

ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 5–3–12 के अनुसार उप पंजीयक, पदमपुर दिनांक 2–2–12 रजि0 शुदा दस्तावेज के अनुसार आबादी भूमि 23 बी बी के मु0 नं0 46 अहाता सं0 70 साईज 50 गुणा 80 फुट श्री प्रदुमनप्रतापसिंह पुत्र पृथ्वीराज राजपूत साकिन पदमपुर के नाम से खारिज कर श्रीमती जसवीरकौर पत्नी श्री कुलदीपसिंह जाति जटसिख साकिन 16 बी बी के नाम इन्तकाल दर्ज किया गया।

इस प्रकार, प्रस्ताव सं0 2 के द्वारा आबादी भूमि चक 23 बी बी के मुरब्बा नं0 46 के भूखण्ड सं0 70 साईज 50 गुणा 80 फुट का इन्तकाल निगरानीकर्ता के नाम से दर्ज है।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता यह स्पष्ट नहीं कर पाये हैं कि निगरानी किस आदेश/प्रस्ताव के खिलाफ पेश की गई है और न ही ऐसे किसी आदेश/प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति पेश की गई है। निगरानी के अनुतोष में ग्राम पंचायत 23 बी बी प0सं0 पदमपुर के उतरी नक्शा में अंकित सड़क को हटाये जाने के आदेश चाहे गये हैं जबकि ग्राम पंचायत 23 बी बी ने अपने पत्र क्रमांक 24 दिनांक 21–7–14 में स्पष्ट किया है कि '' निगरानीकर्ता द्वारा उपरोक्त 20 गुणा 16 फुट में आम रास्ता लगभग एक माह पूर्व से अपना कब्जा हटाकर खाली कर दिया गया है। वर्तमान में 20 गुणा 16 फुट के आम रास्ते में आवागमन चालू है ''।

निष्कर्षतः निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी बिना सारवान दस्तावेजी साक्ष्य के, बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत की गई है, जिसका कोई विधिक औचित्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रति ग्राम पंचायत को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 14–06–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर